

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6706/2015

श्रीमती ममता पत्नी श्री करतार सिंह, वर्तमान में ग्राम पंचायत बाजना, पंचायत समिति बयाना, जिला. भरतपुर (राजस्थान) में सरपंच पद पर हैं।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पीपी के माध्यम से

-----प्रतिवादी

से जुड़े

एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 79/2018

श्रीमती ममता पत्नी श्री करतार सिंह, 35 वर्ष, वर्तमान में ग्राम पंचायत बाजना, पंचायत समिति बयाना , जिला . भरतपुर (राजस्थान) में सरपंच पद पर कार्यरत हैं।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य पीपी के माध्यम से।
2. महानगर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी संख्या 11, जयपुर महानगर के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : सुश्री नैना सराफ
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री चंद्रगुप्त चोपड़ा, पीपी

माननीय श्रीमान. जस्टिस सुदेश बंसल

आदेश

09/01/2024

प्रकाशनीय

1. ये दोनों याचिकाएं याचिकाकर्ता श्रीमती ममता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें धारा 482 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, पुलिस स्टेशन अशोक नगर, जयपुर में धारा 420, 466, 468, 471, 193 और 218 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 253/2015 को रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 11, जयपुर मेट्रोपोलिटन । के न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 323/2016 राज्य बनाम ममता गुर्जर में ऐसे अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल करने और आरोप तय करने सहित इससे उत्पन्न सभी आपराधिक कार्यवाहियों को भी रद्द करने की मांग की गई है।

2. वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आपराधिक मामले में 03.02.2017 को आरोप तय होने के बाद, मामला अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लंबित है।

3. मामले का तथ्यात्मक सार, जैसा कि रिकॉर्ड से निकाला गया है, संक्षेप में यह है:

3.1 एक एफआईआर संख्या 93/2014 आईपीसी की धाराओं 354, 420, 384 के तहत अपराधों के लिए सुश्री निधि साहू द्वारा पुलिस स्टेशन प्रताप नगर, जयपुर शहर (पूर्व) में अपने गुरु श्री गौरखी नागर के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपने माता-पिता के माध्यम से श्री गौरखी नागर के संपर्क में आई और उसे उसके माता-पिता ने एम फार्मा की पढ़ाई के लिए गुरुजी श्री गौरखी नागर के साथ दतिया (एमपी) से जयपुर भेजा था। श्री गौरखी नागर एक भरोसेमंद

व्यक्ति थे क्योंकि वह उनके गुरुजी थे, इसलिए, इस विश्वास के तहत, गुरुजी उन्हें जयपुर से बयाना ले गए और कुछ कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए और एक रजिस्टर में भी। इसके बाद, वह अपनी मां के साथ रहने के लिए दतिया (एमपी) वापस आ गई। 16.01.2014 को, गुरुजी-श्री गौरखी नागर उसके घर आए और उसे पकड़ लिया इसलिए, उसने एक शिकायत की। सुश्री निधि साहू की ऐसी शिकायत पर, पुलिस द्वारा जांच के बाद, आरोपी श्री गौरखी नागर के खिलाफ धारा 420, 384, 376 के तहत अपराध प्रथम दृष्टया साबित पाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी श्री गौरखी नागर ने जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के समक्ष एक एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 5550/2015 पेश की। उस याचिका में, श्री गौरखी नागर की उम्र, वैवाहिक स्थिति और उनके पहले से मौजूद बच्चों की संख्या के बारे में कुछ तथ्यात्मक विवाद उठे, इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 21.07.2015 के आदेश के तहत सरकारी अभियोजक को निर्देश दिया कि वह जांच अधिकारी से वर्तमान याचिकाकर्ता यानी श्री गौरखी नागर की उम्र का पता लगाने के लिए कहें।

3.2 ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2015 के ऐसे निर्देशों के तहत श्री गौरखी नागर की आयु, बच्चों की संख्या और उनकी पत्नी के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में सही तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करने के लिए संबंधित जांच अधिकारी ने एक हेड कांस्टेबल श्री सागरमल को तैनात किया, जिन्होंने आरोपी श्री गौरखी नागर, गांव बाजना के मूल निवास स्थान का दौरा किया और कुछ दस्तावेज एकत्र किए जैसे कि याचिकाकर्ता श्रीमती ममता, गांव बाजना की तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, बाजना के लेटर हेड पर दिनांक 24.07.2015 का प्रमाण पत्र; श्री गौरखी नागर और उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी के

बीच निष्पादित एक तलाकनामे की फोटोकॉपी; नगर पालिका, बयाना के कार्यालय से दिनांक 24.07.2015 का एक पत्र संख्या 725; राशन कार्ड की प्रति आदि। इसके अलावा, जांच अधिकारी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से मतदाता सूची के अतिरिक्त दस्तावेज भी एकत्र किए; आरोपी गौरखी नागर से संबंधित एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बैंक स्टेटमेंट। ऐसे एकत्रित दस्तावेजों के आधार पर, जांच अधिकारी ने एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 5550/2015 की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकारी अभियोजक के समक्ष 28.07.2015 की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह राय थी कि वर्तमान याचिकाकर्ता यानी ममता गुर्जर ने ग्राम पंचायत बाजना के लेटर हेड पर 24.07.2015 का एक प्रमाण पत्र दिया था, जो ग्राम पंचायत बाजना की सरपंच थीं। याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र के अलावा, अन्य दस्तावेज यानी नगर पालिका, बयाना के कार्यालय से जारी पत्र संख्या 725 दिनांक 24.07.2015 की प्रति, गौरखी नागर उर्फ गोविंद प्रसाद के राशन कार्ड की फोटोकॉपी जिसमें उनकी उम्र 42 वर्ष, उनकी पत्नी का नाम- श्रीमती रमा देवी और उनके चार बच्चों का विवरण भी पेश किया गया। इंटरनेट से चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त दिनांक 01.01.2014 की मतदाता सूची के अतिरिक्त दस्तावेज; श्री गौरखी नागर से संबंधित एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बैंक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड में रखे गए। उच्च न्यायालय ने ऐसे दस्तावेजों के आधार पर श्री गौरखी नागर की वैवाहिक स्थिति, आयु और बच्चों की संख्या के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं और दिनांक 28.07.2015 के अपने आदेश में कहा कि श्री गौरखी नागर का उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी से तलाक का कोई औपचारिक आदेश नहीं है, हालांकि, तलाक का आदेश मौजूद है, तथापि, यह स्वीकार्य तथ्य है कि आरोपी आवेदक अपनी पत्नी से अलग रह रहा है जबकि सरपंच द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथ्य को अन्यथा दर्शाता है; शिकायतकर्ता के विद्वान

वकील द्वारा दिखाई गई मतदाता सूची में आरोपी आवेदक और उसकी पत्नी के विवाह से आठ बच्चे दर्शाए गए हैं। इस दृष्टि से, उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.07.2015 के आदेश के तहत जांच अधिकारी और सरपंच को उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

3.3 इसके बाद, रिकॉर्ड से पता चलता है कि सब-इंस्पेक्टर श्री केपी सिंह ने श्री गौरखी नागर के बच्चों की संख्या के बारे में फिर से पूछताछ की और पाया कि उनकी पत्नी रमा देवी से उनके आठ बच्चे हैं, उनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। श्री केपी सिंह ने श्री गौरखी नागर के कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी एकत्र किए जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर्म-डी आदि शामिल हैं। फिर उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 04.08.2015 को संबंधित एसएचओ ने खुलासा किया कि आरोपी श्री गौरखी नागर 68 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनके आठ बच्चे हैं। चूंकि 04.08.2015 को ग्राम पंचायत बाजना की सरपंच यानी वर्तमान याचिकाकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में उपस्थित थीं, जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके 24.07.2015 के प्रमाण पत्र में श्री गौरखी नागर की सही उम्र और बच्चों की संख्या के बारे में सही तथ्य नहीं हैं तथ्यों की ऐसी पृष्ठभूमि और विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर, उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपने दिनांक 04.08.2015 के आदेश में पाया कि सरपंच द्वारा दिए गए दिनांक 24.07.2015 के प्रमाण पत्र में अभियुक्त श्री गौरखी नागर की आयु और बच्चों की संख्या के बारे में झूठी और गलत जानकारी है। इसलिए, जांच अधिकारी को न्यायिक कार्यवाही में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सरपंच के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया। सुलभ संदर्भ के लिए, दिनांक 04.08.2015 के आदेश का प्रासंगिक भाग, जिसके आधार पर दिनांक 07.08.2015 को प्रताप नगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अशोक नगर, जयपुर पुलिस स्टेशन में कथित प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इस प्रकार है:

"...मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और पाया है कि बहस के दौरान याचिकाकर्ता ने न केवल अपनी उम्र के बारे में गलत तथ्य बताकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि बच्चों की संख्या के बारे में भी... सरपंच द्वारा याचिकाकर्ता के बारे में गलत तथ्यों वाला प्रमाण पत्र दिया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, आईओ को सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि यह उस समय दिया गया था जब अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अदालत में मौजूद सरपंच ने क्षमादान की प्रार्थना की, जो इस तथ्य को देखते हुए नहीं दी जा सकती कि आरोपी और अन्य बार-बार अदालत को माफ मानकर गलत बयान देते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं किया जा सकता, अन्यथा अदालत की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। सरपंच द्वारा की गई क्षमादान की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।"

(रेखांकन मेरा है)

3.4 इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 5550/2015 में पारित दिनांक 04.08.2015 के आदेश के अनुसरण में, और उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आक्षेपित प्राथमिकी संख्या 253/2015 दर्ज की गई। मामले का सार यह है कि जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध ग्राम पंचायत बाजना के दिनांक 24.07.2015 के लेटरहेड पर अभियुक्त श्री गौरखी नागर के संबंध में, विशेष रूप से उसकी सही उम्र और बच्चों की सही संख्या के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उत्साहपूर्वक और जोरदार ढंग से निम्नलिखित तर्क उठाए कि:

4.1 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि वर्तमान आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने सरपंच की हैसियत से ग्राम

पंचायत, बाजना के कार्यालय के लेटर हेड पर दिनांक 24.07.2015 को एक प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें श्री गौरखी नागर नामक व्यक्ति की आयु 47 वर्ष बताई गई और उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया गया कि उनका विवाह श्रीमती रमा देवी से हुआ है और यह दर्शाया गया कि उनके चार बच्चे हैं, दो पुत्री और दो पुत्र। जबकि अन्य दस्तावेजों से श्री गौरखी नागर की आयु 68 वर्ष पाई गई और उनके आठ बच्चे हैं। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा प्रमाण पत्र श्री गौरखी नागर के पारिवारिक राशन कार्ड में दिए गए विवरण के आधार पर जारी किया था। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया झूठा और गलत जानकारी वाला पाया गया। उच्च न्यायालय ने एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 5550/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 के तहत आरोपी श्री गौरखी नागर के मतदाता सूची आदि के अन्य दस्तावेजों के विपरीत, इसलिए, उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

4.2 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.08.2015 में कभी भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी नहीं किए लेकिन 24.07.2015 के लेटर हेड पर गलत जानकारी देने के लिए सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसलिए, अधिक से अधिक, गलत जानकारी देने के ऐसे कृत्य के लिए धारा 193 आईपीसी के तहत अपराध बनता है और चूंकि ऐसा अपराध गैर-संज्ञेय है, इसलिए धारा 193 आईपीसी के तहत ऐसे अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध कानून का सहारा केवल धारा 340 सीआरपीसी के तहत निहित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज करना था। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एम.एस. अहलावत

बनाम हरियाणा राज्य [(2000) 1 एससीसी 278] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है।

4.3 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 466 के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज तैयार करना भी एक गैर-संज्ञेय अपराध है, जिसकी एफआईआर दर्ज करके पुलिस द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार, यह आग्रह किया गया है कि अभियोजन पक्ष के स्वीकार किए गए मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 सप्प(1) एससीसी 335] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले के मद्देनजर, आक्षेपित एफआईआर का पंजीकरण कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग था, इसलिए आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

4.4 यह भी तर्क दिया गया है कि आक्षेपित एफआईआर की विषय-वस्तु के मात्र अवलोकन से, उनके अंकित मूल्य पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 218 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है। समीर सहाय @ समीर सहाय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2018) 14 एससीसी 233] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि 24.07.2015 को प्रमाण पत्र देते समय शुरू से ही याचिकाकर्ता के किसी भी बेईमान या धोखाधड़ी के इरादे के लिए आवश्यक तत्व वर्तमान एफआईआर में पूरी तरह से अनुपस्थित है;

4.5 यह तर्क दिया गया है कि यदि एफआईआर में वर्णित तथ्यों और आरोप-पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को वैसे ही लिया जाए, तो भी याचिकाकर्ता पर

अधिक से अधिक धारा 193 और 466 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया जा सकता था, जो गैर संज्ञेय अपराध हैं और इस तरह के अपराधों की जांच के लिए पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी;

4.6 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि आक्षेपित प्राथमिकी पर की गई जाँच के परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जो भी क्षेत्राधिकार के बाहर है। इसके बाद, आक्षेपित प्राथमिकी संख्या 253/2015 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या 323/2016 दर्ज किया गया, जिसमें निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 466, 467, 468, 471, 193 और 218 के तहत आरोप तय किए, बिना ऐसी स्पष्ट अवैधताओं/कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर ध्यान दिए।

इसलिए, आरोप तय करने के आदेश सहित आक्षेपित एफआईआर के अनुसार पूरी आपराधिक कार्यवाही, समग्र रूप से कानून की प्रक्रिया के खिलाफ है और इसलिए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून की प्रक्रिया के ऐसे दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। आनंद कुमार मोहता बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य [(2019) 11 एससीसी 706] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा रखा गया है।

अंत में, यह प्रार्थना की गई है कि आक्षेपित एफआईआर तथा उससे उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या 323/2016 की सभी परिणामी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जाए।

5. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आक्षेपित एफआईआर उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में दर्ज की गई थी

जहां उच्च न्यायालय ने स्वयं प्रथम दृष्टया यह देखा था कि याचिकाकर्ता सरपंच होने के नाते ग्राम पंचायत के लेटर हेड पर दिनांक 24.07.2015 को प्रमाण पत्र जारी करके न्यायिक कार्यवाही में गलत जानकारी देने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420, 466, 467, 468, 471, 193 और 218 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, न ही इससे उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही। उन्होंने कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

6. दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना गया, इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया तथा याचिकाकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों पर विचार किया गया।

7. अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन का पूरा मामला, याचिकाकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत बाजना, पंचायत समिति बयाना, जिला भरतपुर के लेटर हेड पर, उस ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में जारी दिनांक 24.07.2015 के प्रमाण पत्र पर आधारित है। अभिलेख (अनुलग्नक-2) में उपलब्ध दिनांक 24.07.2015 के उस प्रमाण पत्र को यथावत पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा:

कार्यालय ग्राम पंचायत बाजना

पंचायत समिति, बाजना (भरतपुर) राज०

प्रेषक: सरपंच	प्रेषित : श्रीमान
---------------	-------------------

ग्राम पंचायत बाजना	
प० स० (भरतपुर)	
	
	

क्रमांक

दिनांक: 24/7/15

मैं प्रमाणित करता हूँ की गौरखी नागर s/o स्व० यादराम नागर जाती खटीक, उम्र 47 वर्ष निवासी गाओं कोडपुरा थाना गाड़ी बाजना जिला भरतपुर का मूल निवासी या जो आज से 10 वर्ष पहले, गांव नि० भगवती कॉलोनी PS बयाना जिला भरतपुर में मकान बना रखा है। वही पर परिवार सहित रहता है। गांव में उसकी कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है। पुराण खण्डार हर पड़ा हुआ है। कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है। इनकी पत्नी व् बच्चे भगवती कॉलोनी में रहते हैं। गौरखी नगर की एक ही पत्नी है जिसका नाम रामा देवी है। इनके दो लड़की व् दो लड़के हैं। दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है। एवं दोनों लड़की रामा देवी के साथ भगवती कॉलोनी बयाना में साफ रहते हैं।

8. याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 24.07.2015 का प्रमाण पत्र श्री गौरखी नागर की आयु, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या से संबंधित तथ्यों की पुष्टि उनके पारिवारिक राशन कार्ड के दस्तावेज़ से करता है, जो एक निर्विवाद दस्तावेज़ भी है। फिर भी, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.08.2015 के आदेश में यह टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता न्यायिक कार्यवाही में दिनांक 24.07.2015 का झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है, इसलिए, जाँच अधिकारी को याचिकाकर्ता- सरपंच के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 466 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन प्रथम दृष्टया

याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 218 के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 466 के तहत अपराध का संबंध है, दोनों अपराध गैर-संज्ञेय हैं और ऐसे में याचिकाकर्ता पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी और ऐसे अपराधों की पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। हालाँकि, आक्षेपित एफआईआर धारा 420, 467, 468, 471 और 218 के तहत अन्य संज्ञेय प्रकृति के अपराधों को शामिल करते हुए दर्ज की गई थी, जो वास्तव में कोई मामला ही नहीं बनता है।

9. इस न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर तथ्यात्मक और कानूनी दोनों दृष्टियों से विचार किया। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.08.2015 के आदेश द्वारा जाँच अधिकारी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था, जो कि वर्तमान मामले में, ग्राम पंचायत बाजना के लेटरहेड पर याचिकाकर्ता द्वारा ग्राम बाजना की सरपंच के रूप में दिनांक 24.07.2015 को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। भारतीय दंड संहिता की धारा 191 झूठे साक्ष्य देने के अपराध के बारे में बताती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 झूठे साक्ष्य गढ़ने के बारे में बताती है। झूठे साक्ष्य के लिए दंड आईपीसी की धारा 193 के तहत प्रदान किया जाता है जो कहता है कि "जो कोई भी जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में झूठा साक्ष्य देता है या किसी भी न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से झूठा साक्ष्य गढ़ता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा; और जो कोई भी जानबूझकर किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देता है या गढ़ता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना

होगा।” न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध गैर-संज्ञेय है। यदि तर्कों के लिए यह माना जाता है कि ग्राम पंचायत, बाजना के सरपंच के पद पर आसीन याचिकाकर्ता ने अपनी आधिकारिक क्षमता में एक झूठा प्रमाण पत्र जारी किया या तैयार किया और वह धारा 466 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी है यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है जैसा कि भजन लाल (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जहां, एफआईआर में आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं है, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच की अनुमति नहीं है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि जहां तक धारा 193 और 466 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आक्षेपित एफआईआर के पंजीकरण का संबंध है, यह कानून में अस्वीकार्य है क्योंकि दोनों अपराध गैर-संज्ञेय हैं और सीआरपीसी की धारा 155 (2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, एक पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध के लिए जांच के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

10. एम.एस. अहलावत (सुप्रा) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को न्यायालय में विभिन्न चरणों में झूठा बयान देने के लिए दी गई प्रत्यक्ष दोषसिद्धि को इस आधार पर वापस ले लिया गया और रद्द कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत दंड नहीं दे सकता। इसके बजाय, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और 340 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 5 और 6 में स्पष्ट रूप से कहा है, जिन्हें यहाँ संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

5. भारतीय दंड संहिता का अध्याय XI "झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध" से संबंधित है और इसमें निहित धारा 193 न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए दंड का प्रावधान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195 में प्रावधान है कि जहाँ कोई कृत्य लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना का अपराध या लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, जैसे कि धारा 193 आईपीसी के अंतर्गत झूठे साक्ष्य देना आदि, या न्यायालय में वास्तव में प्रयुक्त दस्तावेजों से संबंधित अपराध के बराबर हो, वहाँ निजी अभियोजन पूर्णतः वर्जित है और केवल वही न्यायालय कार्यवाही आरंभ कर सकता है जिसके संबंध में अपराध किया गया हो। सीआरपीसी की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य हैं और किसी भी न्यायालय को उसमें उल्लिखित किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उस धारा के अंतर्गत लिखित रूप में कोई शिकायत न हो। यह स्थापित कानून है कि प्रत्येक गलत या मिथ्या कथन न्यायालय के लिए अभियोजन का आदेश देना अनिवार्य नहीं बनाता, बल्कि न्याय प्रशासन के व्यापक हित में ही अभियोजन का आदेश देने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है।

6. धारा 340 सीआरपीसी धारा 195 के तहत शिकायत कैसे की जा सकती है, इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है । जबकि धारा 195 सीआरपीसी के तहत यह उस अदालत के लिए खुला है, जिसके समक्ष अपराध किया गया था, अपराधी के अभियोजन के लिए शिकायत करने के लिए, धारा 340 सीआरपीसी उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है कि उस शिकायत को कैसे पेश किया जा सकता है। धारा 195 सीआरपीसी के तहत प्रावधान अनिवार्य हैं और कोई भी अदालत इसमें संदर्भित अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती है। यह ऐसे अपराधों के संबंध में है कि अदालत के पास धारा 340 सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ने का क्षेत्राधिकार है और धारा 340 सीआरपीसी के प्रावधानों के बाहर शिकायत किसी भी नागरिक, राजस्व या आपराधिक अदालत द्वारा अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के तहत दायर नहीं की जा सकती है।

11. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक कार्यवाही में दिनांक 24.07.2015 को एक झूठा प्रमाण पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने के कथित

अपराध के लिए, धारा 340 Cr.PC के तहत परिकल्पित कोई आपराधिक शिकायत याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच अधिकारी द्वारा दायर नहीं की गई थी। आपराधिक शिकायत दर्ज करके आपराधिक कार्यवाही शुरू किए बिना, और धारा 155(2) Cr.PC के तहत जांच शुरू करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश जारी किए बिना, न तो धारा 193 और 466 IPC के तहत अपराध के लिए आक्षेपित प्राथमिकी दर्ज की जा सकती थी और न ही कोई पुलिस अधिकारी ऐसे अपराधों की जांच के लिए आगे बढ़ सकता था, न ही न्यायालय के पास पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार है, जिसे अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाता है। इस प्रकार, जहां तक आक्षेपित एफआईआर का पंजीकरण और आक्षेपित एफआईआर के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, उस पर आईपीसी की धारा 193 और 466 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाना मनमाना, स्पष्ट रूप से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है, जिसे कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग माना जा सकता है। इसलिए, भजन लाल (सुप्रा) के फैसले के पैरा 102 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात निर्णय और मानदंड संख्या IV के बाद, और एम.एस. अहलावत (सुप्रा) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, आक्षेपित एफआईआर का पंजीकरण और याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 और 466 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कानून के जनादेश के खिलाफ घोषित किया जा सकता है, और इस तरह धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द और अलग रखा जा सकता है ।

12. जहां तक आक्षेपित एफआईआर दर्ज करने और याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 218 के तहत मुकदमा चलाने का सवाल है, तो यह देखना होगा कि आक्षेपित एफआईआर के आरोप, उनके अंकित मूल्य पर और

उनमें लगाए गए ऐसे आरोपों को उनकी संपूर्णता में स्वीकार करते हुए, प्रथम दृष्टया धारा 420 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का अपराध बनाते हैं या नहीं, धारा 467 और 468 आईपीसी के तहत अपराध बनाने के लिए 24.07.2015 का प्रमाण पत्र तैयार करके धोखाधड़ी के उद्देश्य से मूल्यवान सुरक्षा को जालसाजी करना, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि प्रमाण पत्र जाली है, धोखाधड़ी या बेईमानी से उसका उपयोग करना, धारा 471 आईपीसी के तहत अपराध बनाने के लिए और लोक सेवक होने के नाते गलत रिकॉर्ड तैयार करना, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा से बचाना या उसकी संपत्ति को जब्त होने से बचाना है, जो आईपीसी की धारा 218 के तहत अपराध बनाता है। धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के अपराध बनाने के लिए बुनियादी और मौलिक तत्व हैं:

- (i) धोखा होना चाहिए अर्थात् अभियुक्त ने किसी को धोखा दिया होगा;
- (ii) अभियुक्त को किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी संपत्ति को सौंपने या मूल्यवान प्रतिभूति/मूल्यवान संपत्ति को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए;
- (iii) अभियुक्त को जालसाजी करनी होगी; और ऐसी जालसाजी उस दस्तावेज के संबंध में होनी चाहिए जो मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या कोई संपत्ति होने का दावा करता हो;
- (iv) अभियुक्त द्वारा की गई जालसाजी ऐसे दस्तावेजों का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से करने के इरादे से की जाएगी;
- (v) अभियुक्त ने जाली दस्तावेज का उपयोग किया होगा, यह जानते हुए कि यह जाली है, लेकिन उस दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करने के लिए, धोखाधड़ी या बेईमानी से और धारा 218 आईपीसी के तहत अपराधों के

लिए, अपराधी एक लोक सेवक होना चाहिए, जिसे रिकॉर्ड तैयार करने का कर्तव्य सौंपा गया था और उसने उस रिकॉर्ड को गलत तरीके से तैयार किया होगा और उसने ऐसा जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने या किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से किया होगा;

एफआईआर के आरोप या याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर जांच रिपोर्ट (चार्जशीट) से रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से या किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए या खुद के लिए कोई अन्य लाभ जुटाने के लिए या किसी भी तरह से श्री गौरखी नागर को लाभ पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के किसी भी धोखाधड़ी या बेईमान इरादे से 24.07.2015 को प्रमाण पत्र जारी किया। अभियोजन पक्ष के मामले को लेते हुए, श्री गौरखी नागर की उम्र और बच्चों की संख्या के गलत आंकड़े देने का उनके खिलाफ अपराध की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा श्री गौरखी नागर को धोखा देने या किसी भी तरह का पक्ष लेने के किसी भी बेईमान इरादे से प्रमाण पत्र देने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रमाण पत्र जारी करने, तथ्यों को देने में, धोखाधड़ी के उद्देश्य से एक मूल्यवान सुरक्षा बनाने के रूप में नहीं लिया जा सकता है धारा 420, 467, 468, 471 और 218 आईपीसी के तहत अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है, जिससे उस पर मुकदमा चलाया जा सके।

13. उपर्युक्त तथ्यों से, श्री गौरखी नागर को आरोपी बनाया गया था, जिनके खिलाफ सुश्री निधि द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में साहू के खिलाफ धारा 420 एम 384, 376 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।

रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता का आरोपी श्री गौरखी नागर के साथ कोई संबंध या संबंध था। 24.07.2015 का प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता द्वारा हेड कांस्टेबल द्वारा श्री गौरखी नागर की उम्र, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या के बारे में पूछताछ करने के लिए किए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए जारी किया गया था। श्री गौरखी नागर के पारिवारिक राशन कार्ड में दिए गए विवरण के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी जानकारी का खुलासा किया गया था। इसके अलावा, इस अदालत को कोई अच्छा कारण नहीं मिला कि याचिकाकर्ता द्वारा 24.07.2015 के प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर, जिसमें आरोपी श्री गौरखी नागर की गलत उम्र, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की गलत संख्या दिखाई गई है, न तो वह अपने खिलाफ आपराधिक मामले में ऐसी झूठी जानकारी का कोई फायदा उठा सकता था, ऐसा केवल इस कारण से है कि 24.07.2015 के प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण श्री गौरखी नागर के अन्य दस्तावेजों जैसे उनकी मतदाता सूची, बैंक स्टेटमेंट आदि से मेल नहीं खाते थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि याचिकाकर्ता ने न्यायिक कार्यवाही में झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया।

14. रिकॉर्ड पर इस बात का ज़रा भी सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी व्यक्ति को धोखा देने या किसी को संपत्ति देने या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए 24.07.2015 को धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रमाण पत्र जारी किया। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उसे किसी मूल्यवान सुरक्षा को जालसाजी करने या धोखाधड़ी के उद्देश्य से या अपने फायदे के लिए या श्री गौरखी नागर के लाभ के लिए इस प्रमाण पत्र का धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करने के दायरे में नहीं माना जा सकता है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता का इस तरह के प्रमाण

पत्र को जारी करने का कोई इरादा था, यह जानते हुए भी कि इसमें गलत जानकारी है और आरोपी श्री गौरखी नागर को बचाने का इरादा था । इसलिए, आवश्यक सामग्री, यहां तक कि प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 218 के तहत अपराध के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए नहीं बनती है।

15. उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.08.2015 के आदेश में केवल जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत दस्तावेज पेश करने का मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया था, इससे अधिक कुछ नहीं, इसलिए, यह न्यायालय पाता है कि धारा 420, 467, 468, 471 और 218 आईपीसी के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह से मनमाना, अनुचित और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वर्तमान मामले के स्वीकृत तथ्यों पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों में से कोई भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। पूरे आरोप पत्र में, ऐसे अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत या अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप तय करने का आदेश भी ऐसे अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर किसी सबूत या अन्य सामग्री की उपलब्धता के बारे में कोई प्रथम दृष्टया संतुष्टि नहीं देता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [एआईआर 1972 एससी 545] के मामले में यह माना है कि "यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को यह विचार करने के लिए अपनी न्यायिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने की धारणा का कोई आधार है या नहीं। आरोप तय

करने का आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रभावित करता है और यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय को केवल इसलिए स्वतः आरोप तय कर देना चाहिए क्योंकि अभियोजन अधिकारी धारा 173 में संदर्भित दस्तावेजों पर भरोसा करके मामला दर्ज करना उचित समझते हैं। आरोप तय करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है और उसे ऐसा करने के प्रश्न पर न्यायिक रूप से विचार करना होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर पूरी तरह से विचार किए बिना, उसे अभियोजन पक्ष के फैसले को आँख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए।" इसी तरह, पी. विजयन बनाम केरल राज्य [एआईआर 2010 एससी 663] के मामले में, यह माना गया कि न्यायाधीश आरोप तय करने के लिए महज एक डाकघर नहीं है, बल्कि उसे मामले के तथ्यों पर अपनी न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे का मामला बनाया गया है या नहीं? यद्यपि, यह न्यायालय जानता है कि आरोप तय करने के संबंध में कानूनी निर्णय अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय को आरोप तय करने के लिए कोई कारण या लंबा आदेश लिखने की आवश्यकता नहीं है और रिकॉर्ड पर सामग्री का विस्तृत विश्लेषण या विकास अपेक्षित नहीं है, तथापि, कानून के मापदंडों को लागू करने पर, आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री की उपलब्धता के बारे में न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्टि की गारंटी देते हुए, वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आक्षेपित आदेश ऐसे मापदंडों को पूरा नहीं करता है, जिससे न्याय की विफलता होती है।

इस न्यायालय ने पाया कि एफआईआर में धारा 420, 468, 471 और 218 आईपीसी के तहत अपराधों को केवल अपराध की संज्ञेय प्रकृति को धारा 193, 466 आईपीसी के तहत अपराधों के साथ जोड़ने के लिए जोड़ा गया है, जो प्रकृति में गैर-संज्ञेय हैं, ताकि एफआईआर दर्ज की जा सके और जांच के लिए आगे बढ़ा जा सके,

ताकि यह दिखाया जा सके कि 04.08.2015 के आदेश में जारी उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 04.08.2015 को जारी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, जांच अधिकारी को धारा 340 सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जांच अधिकारी ने धारा 420, 468, 471 और 218 आईपीसी के तहत संज्ञेय प्रकृति के अन्य अपराधों को शामिल करने के बाद धारा 193, 466 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए गलत रास्ता अपनाया, जो वर्तमान मामले में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं।

16. भजन लाल (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 102 में स्पष्ट रूप से मानदंड संख्या III निर्धारित किया है कि "जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप, उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं", उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसी एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए। वर्तमान मामले में, एफआईआर या चार्जशीट से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 218 आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं बनती है। यदि याचिकाकर्ता को बुक किया जा सकता था, तो केवल धारा 193 और 466 आईपीसी के तहत अपराध के लिए, वह भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के माध्यम से इसलिए, वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

निर्धारित मानदंड संख्या I, II, III और IV के अंतर्गत आता है; भजन लाल (सुप्रा) के मामले में, इसलिए, यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके आक्षेपित एफआईआर को रद्द करना उचित और उचित समझता है।

17. यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर एसबी आपराधिक विविध याचिका संख्या 6706/2015 में आक्षेपित एफआईआर संख्या 253/2015 को रद्द करने की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय ने कानूनी प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित एफआईआर धारा 195 और 340 सीआरपीसी में निहित प्रावधानों से प्रभावित है, दिनांक 05.02.2018 के आदेश के तहत एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी, हालांकि, उस समय तक, पुलिस ने आक्षेपित एफआईआर में जांच पूरी कर ली थी और आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके बाद राज्य बनाम ममता गुर्जर शीर्षक से आपराधिक मामला संख्या 323/2016 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रोपोलिटन- I की अदालत के समक्ष दर्ज किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी धारा 420, 466, 467, 468, 471, 193, 218 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर करने के आधार पर आरोप तय करने की कार्यवाही की। इसलिए, याचिकाकर्ता ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 79/2018 दायर की जिसमें आपराधिक मामला संख्या 323/2016 की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें आरोप तय करने का आदेश कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस संबंध में कानूनी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोसेफ सैवरेज ए बनाम गुजरात राज्य [(2011) 7 एससीसी 59] के मामले में तय किया गया है, जिसमें इस सवाल का जवाब देते हुए कि "क्या उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका पर विचार कर सकता है, जब धारा 482 याचिका के लंबित रहने के दौरान पुलिस

द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 16 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"16. इस प्रकार, जिन विभिन्न धाराओं के तहत अपीलकर्ता पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिन पर मुकदमा चलाया जाना है, उनके सामान्य अवलोकन से पता चलता है कि वे शिकायतकर्ता की प्राथमिकी से भी प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होतीं। यदि आरोप-पत्र दायर भी कर दिया गया होता, तो भी विद्वान एकल न्यायाधीश यह जाँच कर सकते थे कि अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध शिकायतकर्ता की प्राथमिकी, आरोप-पत्र, दस्तावेजों आदि से प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं या नहीं।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोसेफ साईवरेज ए (सुप्रा) के मामले में प्रतिपादित प्रस्ताव का अनुसरण और पुनरावृत्ति करते हुए, आनंद कुमार मोहता (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 15 और 16 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

"15. वैसे भी यह याद रखना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा लागू किया गया प्रावधान सीआरपीसी की धारा 482 है और यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा है। सीआरपीसी की धारा 482 इस प्रकार है:

"482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति.-इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हों।"

16. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता को रोकने की शक्ति के प्रयोग को केवल एफआईआर के चरण तक ही सीमित करता हो। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय

धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब भी कर सकता है जब डिस्चार्ज आवेदन ट्रायल कोर्ट में लंबित हो। वास्तव में, यह मानना हास्यास्पद होगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में एफआईआर के चरण में हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन तब नहीं जब यह आगे बढ़ गई हो और आरोपों ने आरोप-पत्र का रूप ले लिया हो। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि एफआईआर के कारण प्रक्रिया का दुरुपयोग बढ़ जाता है यदि एफआईआर ने जांच के बाद आरोप-पत्र का रूप ले लिया है। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए निस्संदेह यह शक्ति प्रदान की गई है।

19. संपूर्ण तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के बाद, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित एफआईआर दर्ज की गई और ऊपर चर्चा की गई कानून की प्रस्तावना से अवगत होने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उच्च न्यायालय ने एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 5550/2015 में पारित दिनांक 04.08.2015 के आदेश के तहत जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 24.07.2015 का झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे, जिसे उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया देखा था जिसमें आरोपी श्री गौरखी नागर के बारे में उनकी उम्र और उनके बच्चों की संख्या के संबंध में कुछ गलत और झूठी जानकारी थी। याचिकाकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्री गौरखी नागर की उम्र 41 वर्ष दर्शाई गई थी, जबकि उनकी उम्र 68 वर्ष पाई गई और जहां तक प्रमाण पत्र में उनके बच्चों की संख्या का संबंध है, यह दर्शाया गया था कि उनकी पत्नी श्रीमती से उनके चार बच्चे थे। रमा देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जबकि पाया गया कि उनके आठ बच्चे हैं, इसलिए, न्यायिक कार्यवाही में इस तरह की गलत और झूठी जानकारी देने के लिए याचिकाकर्ता पर अधिक से अधिक धारा 193 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा

सकता था और अधिकतम धारा 466 आईपीसी के तहत, इससे अधिक नहीं। चूंकि ऐसे दोनों अपराध गैर-संज्ञेय हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी और यह धारा 195 और 340 सीआरपीसी के प्रावधानों से प्रभावित है, जो प्रकृति में अनिवार्य हैं। जांच अधिकारी धारा 340 सीआरपीसी के आदेश का पालन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता पर ऐसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता था, लेकिन उसने आईपीसी की धाराओं 420, 468, 471 और 218 के तहत अन्य संज्ञेय प्रकृति के अपराधों को जोड़कर ऐसे अपराध के लिए आक्षेपित एफआईआर दर्ज की, जो वर्तमान मामले में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते

20. इसलिए, मामले पर सभी कोणों से विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। एफआईआर ने जांच के बाद आरोप पत्र का रूप ले लिया है, जो कि अधिकार क्षेत्र के बाहर और कानून के जनादेश के खिलाफ है, इसलिए, कथित अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा। कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित और उचित समझता है। यदि याचिकाकर्ता को लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे की जटिल प्रक्रिया से गुजरने दिया जाता है, तब भी जब एफआईआर के आधार पर उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो इससे केवल उसका उत्पीड़न और अपमान होगा, जिसकी कानून के सिद्धांतों के अनुसार अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, वर्तमान मामले को आक्षेपित एफआईआर और उससे उत्पन्न सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला पाता है।

21. अंतिम परिणाम के रूप में, पुलिस स्टेशन अशोक नगर, जयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 253/2015 और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 11, जयपुर महानगर-I के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 323/2016 (राज्य बनाम ममता गुर्जर) की आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाती है। कोई खर्च नहीं।

22. इस आदेश की एक प्रति वर्तमान आपराधिक मामले की कार्यवाही बंद करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

(सुदेश बंसल),जे

नितिन/301-302

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी